

कायालय कलेक्टर जिला पन्ना मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला पन्ना मध्यप्रदेश

कमांक/ 703 / भू-अर्जन/2019

पन्ना, दिनांक 24/12/2019

प्रति,

नियंत्रक,  
मध्यप्रदेश शासन, केन्द्रीय मुद्रणालय,  
मैदा मील प्रेस काम्पलेक्स के पास,  
भोपाल, मध्यप्रदेश ।

विषय:- भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-11 की अधिसूचना का प्रकाशन बावत् ।

—00—

विषयांकित संबंध में पटना तालाब योजना के अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन के लिये धारा-11 का प्रकाशन, ग्राम कुडगवां तहसील एवं अनुभाग पवई जिला पन्ना हेतु अधिग्रहित की जा रही भूमियों के लिये मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के ज्ञाप कमांक एफ 12-6/2014/सात/शा 2ए. भोपाल, दिनांक 29.01.2014 के अनुसार भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-11 के अन्तर्गत ग्राम कुडगवां तहसील पवई जिला पन्ना की अधिसूचना निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर आपकी ओर प्रकाशन हेतु संलग्न संप्रेषित है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार अधिसूचना

{ कर्मवीर शर्मा }  
कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,  
जिला पन्ना मध्यप्रदेश  
पन्ना, दिनांक 24/12/2019

पृ0 कमांक/ 704 / भू-अर्जन/2019  
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त जन संपर्क संचालनालय जनसंपर्क भवन वाणगंगा रोड़ भोपाल की ओर संलग्न अधिसूचना की चार-चार प्रतियां भेजकर लेख किया जाता है कि इसका प्रकाशन पन्ना जिले से प्रकाशित होने वाले दो स्थानीय समाचार पत्रों में पृथक-पृथक करावें तथा अधिसूचना की प्रत्येक स्थानीय समाचार पत्र की पृथक-पृथक एक-एक प्रतियां इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।
2. सहायक संचालक जन संपर्क विभाग पन्ना की ओर अधिसूचना की एक प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि, वे स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करावें ।
3. वन मण्डलाधिकारी दक्षिण जिला पन्ना की ओर सूचनार्थ ।
4. तहसीलदार तहसील पवई की ओर अधिसूचना की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि, एक प्रति तहसील कार्यालय/संबंधित ग्राम पंचायत भवन पर एवं एक प्रति संबंधित ग्राम की चौपाल अथवा सार्वजनिक स्थल पर चस्पा/प्रकाशन करावें तथा प्रकाशन की पावती पंचनामा सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करावें ।
5. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, पवई की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित
6. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व पवई की ओर सूचनार्थ
7. अधिसूचना की एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जिला पन्ना के सूचना पटल में चस्पा हेतु ।
8. प्रभारी अधिकारी जिला सूचना विज्ञान केन्द्र पन्ना की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन पन्ना जिले के वेवसाईट पर कराने हेतु ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार अधिसूचना

{ कर्मवीर शर्मा }  
कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,  
जिला पन्ना मध्यप्रदेश

**कार्यालय कलेक्टर जिला पन्ना मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग**

पन्ना दिनांक 24/12/2019


प्रकरण क्रमांक 07/अ-82 वर्ष 2019-20 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।


**अनुसूची**


जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा- 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हैक्टेयर में		
1	2	3	4	5	6
पन्ना	पवई	कुडगवां	निजी भूमि रकवा 0.32 है० एवं शासकीय भूमि रकवा 0.00 है० कुल रकवा 0.32 है०	कार्यपालन यंत्री जल-संसाधन संभाग, पवई	पटना तालाब योजना के अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(ए०के०दोहरे )  
अनुविभागीय अधिकारी  
पतने मध्यम सिंचाई परियोजना  
उपसंभाग पवई

  
( बी० एल० दादौरिया )  
कार्यपालन यंत्री,  
जल संसाधन संभाग, पवई  
जिला पन्ना मध्यप्रदेश

  
{ कर्मवीर शर्मा }  
कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,  
जिला पन्ना मध्यप्रदेश

कार्यालय कलेक्टर जिला पन्ना मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला पन्ना मध्यप्रदेश

क्रमांक/ 705 / भू-अर्जन/2019

पन्ना, दिनांक 24/12/2019

प्रति,

नियंत्रक,  
मध्यप्रदेश शासन, केन्द्रीय मुद्रणालय,  
मैदा मील प्रेस काम्पलेक्स के पास,  
भोपाल, मध्यप्रदेश ।

विषय:- भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-11 की अधिसूचना का प्रकाशन बावत् ।

—00—

विषयांकित संबंध में उमेही नाला तालाब योजना हेतु नहर निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन के लिये धारा-11 का प्रकाशन, ग्राम रामपुरखजुरी तहसील एवं अनुभाग शाहनगर जिला पन्ना हेतु अधिग्रहित की जा रही भूमियों के लिये मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 12-6/2014/सात/शा 2ए. भोपाल, दिनांक 29.01.2014 के अनुसार भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-11 के अन्तर्गत ग्राम रामपुरखजुरी तहसील शाहनगर जिला पन्ना की अधिसूचना निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर आपकी ओर प्रकाशन हेतु संलग्न संप्रेषित है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार अधिसूचना

{ कर्मवीर शर्मा }

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,  
जिला पन्ना मध्यप्रदेश

पन्ना, दिनांक 24/12/2019

पृ० क्रमांक/ 706 / भू-अर्जन/2019  
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त जन संपर्क संचालनालय जनसंपर्क भवन वाणगंगा रोड़ भोपाल की ओर संलग्न अधिसूचना की चार-चार प्रतियां भेजकर लेख किया जाता है कि इसका प्रकाशन पन्ना जिले से प्रकाशित होने वाले दो स्थानीय समाचार पत्रों में पृथक-पृथक करावें तथा अधिसूचना की प्रत्येक स्थानीय समाचार पत्र की पृथक-पृथक एक-एक प्रतियां इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।
2. सहायक संचालक जन संपर्क विभाग पन्ना की ओर अधिसूचना की एक प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि, वे स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
3. वन मण्डलाधिकारी दक्षिण जिला पन्ना की ओर सूचनार्थ ।
4. तहसीलदार तहसील शाहनगर की ओर अधिसूचना की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि, एक प्रति तहसील कार्यालय/संबंधित ग्राम पंचायत भवन पर एवं एक प्रति संबंधित ग्राम की चौपाल अथवा सार्वजनिक स्थल पर चस्पा/प्रकाशन करावें तथा प्रकाशन की पावती पंचनामा सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
5. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, पबई की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित
6. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व शाहनगर की ओर सूचनार्थ
7. अधिसूचना की एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जिला पन्ना के सूचना पटल में चस्पा हेतु ।
8. प्रभारी अधिकारी जिला सूचना विज्ञान केन्द्र पन्ना की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन पन्ना जिले के वेबसाईट पर कराने हेतु ।

संलग्न:-

उपरोक्तानुसार अधिसूचना

{ कर्मवीर शर्मा }

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,  
जिला पन्ना मध्यप्रदेश

**कार्यालय कलेक्टर जिला पन्ना मध्यप्रदेश एवं**  
**पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग**

पन्ना दिनांक 24/12/2019


प्रकरण क्रमांक 08/अ-82 वर्ष 2019-20 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।


**अनुसूची**


जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा- 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हैक्टेयर में		
1	2	3	4	5	6
पन्ना	शाहनगर	रामपुरखजुरी	निजी भूमि रकवा <b>15.88</b> है० एवं शासकीय भूमि रकवा <b>0.05</b> है० कुल रकवा <b>15.93</b> है०	कार्यपालन यंत्री जल-संसाधन संभाग, पवई	उमेही नाला तालाब योजना हेतु नहर निर्माण कार्य हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(वी०के०विनोदिया )  
अनुविभागीय अधिकारी  
पतने मध्यम सिंचाई परियोजना  
उपसंभाग पवई

  
( बी० एल० दादौरिया )  
कार्यपालन यंत्री,  
जल संसाधन संभाग, पवई  
जिला पन्ना मध्यप्रदेश

  
{ कर्मवीर शर्मा }  
कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,  
जिला पन्ना मध्यप्रदेश